पत्र संख्या–6 / योजना–01–1024 / 2011गृ0आ0......................... /

बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक फरवरी, 2016

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2013–14 में अग्निशमन सेवा के भवन निर्माण मद में स्वीकृत चालू योजनाओ के लिए राशि ₹ 1092.821 लाख (दस करोड़ बानवे लाख बेरासी हजार एक सौ रू0) विमुक्त करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गृह विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या–4188, दिनांक–30.05.2013 द्वारा राज्य के 5 जिलों में अग्निशामक भवन के निर्माण हेतु कुल ₹ 12,49,82,200 (बारह करोड़ उनचास लाख बेरासी हजार दो सौ रू0) की प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए ₹ 1,55,09,800 (एक करोड़ पचपन लाख नौ हजार आठ सौ रू0) विमुक्त करने की स्वीकृति दी गयी थी।

2. उपर्युक्त स्वीकृत चालू योजनाओं के लिए शेष देय राशि 1094.724 लाख (दस करोड़ चौरानवे लाख बहत्तर हजार चार सौ रू0) में से चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में ₹ 1092.821 लाख (दस करोड़ बानवे लाख बेरासी हजार एक सौ रू0) विमुक्त करने की स्वकृति प्रदान की जाती है। विमुक्त राशि का योजनावार विवरणी निम्नप्रकार है :–

क्र0	जिला / अनुमंडल का नाम जहां अग्निशमन भवन का निर्माण किया जा रहा है।	प्राक्कलित राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में विमुक्त राशि (2013–14)	वर्त्तमान में विमुक्त राशि (2015–16)	कुल विमुक्त राशि (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	बेतिया	₹ 2,75,96,200	₹ 2,75,96,200	₹ 31,00,000	₹ 2,44,96,200	₹ 2,75,96,200
2.	बेगूसराय	₹ 2,70,57,400	₹ 2,70,57,400	₹ 31,00,000	₹ 2,39,57,400	₹ 2,70,57,400
3.	औरंगाबाद	₹ 2,69,55,200	₹ 2,69,55,200	₹ 31,00,000	₹ 2,38,55,200	₹ 2,69,55,200
4.	नवगछिया	₹ 2,67,05,050	₹ 2,67,05,050	₹ 31,00,000	₹ 2,34,14,750	₹ 2,65,14,750
5.	मढ़ौरा	₹ 1,66,68,350	₹ 1,66,68,350	₹ 31,09,800	₹ 1,35,58,550	₹ 1,66,68,350
	कुल	**₹ 12,49,82,200**	**₹ 12,49,82,200**	**₹ 1,55,09,800**	**₹ 10,92,82,100**	**₹ 12,47,91,900**

2. उपर्युक्त स्तम्भ–6 में विमुक्त राशि ₹ 1092.821 लाख (दस करोड़ बानवे लाख बेरासी हजार एक सौ रू0) राज्य योजनान्तर्गत माँग संख्या–22 के बजट शीर्ष –"4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय–051–निर्माण–0101–भवन निर्माण के लिए बिहार अग्निशाम सेवा" विपत्र कोड–P4070000510101 विषयशीर्ष–53 01–मुख्य निर्माण कार्य तथा योजना स्कीम कोड–HOM-5422 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. भवन निर्माण का कार्य बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा किया जायेगा तथा राशि की निकासी कर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पी0एल0 खाता में जमा किया जायेगा।

5. राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 में विहित विपत्र पर की जायेगी।

6. निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजातों को संलग्न किया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

8. उपयोगिता प्रमाण–पत्र 3 माह के अन्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

9. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप सं0 :–6 / योजना–01–1024 / 2011गृ0आ0........867........ / पटना, दिनांक 04 फरवरी, 2016

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षावाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना / पुलिस महानिदेशक–सह–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना / समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना / राज्य अग्निशाम पदाधिकारी, बिहार, पटना / आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

3.2.16